कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2019–20/ दिनांक :– 04/05/2020

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग

विषय :– पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा में संशोधन के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– इस विभाग का पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2020, 26.02.2020

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 3666–4165 दिनांक 13.09.2019 एवं 8002 दिनांक 13.12.2019 द्वारा राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना में इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेशों द्वारा आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के डाटा को पे–मैनेजर पर जॉच कर, यदि उनमें कोई संशोधन अपेक्षित है, तो स्वयं के स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त लॉग्नि से अधिकृत कर इस विभाग को अन्तिम अधिकृति (Final Approval) हेतु अग्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाले डाटा संशोधन को विभाग द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है फिर भी यह देखा गया है कि कई आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा अपेक्षित संशोधित कराए जाने वाले डाटा को कार्मिक के लॉगिन/डीडीओ लॉगिन से पै–मेनेजर पर ऑनलाईन फारवर्ड किए बिना ही पत्र के द्वारा निदेशालय से संशोधन हेतु कहा जा रहा है। ऑनलाईन रिक्वेस्ट प्राप्त हुए बिना वांछित संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होता है।

वित्त विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पै–मेनेजर/226–425 दिनांक15.04.2020 द्वारा पै–मेनेजर पर संशोधन के मध्यनजर वेतन भुगतान माह अप्रैल देय माह मई, 2020 में संशोधन कर संवेतन माह जून, 2020 देय माह जुलाई, 2020 किया गया है। अतः वित्त विभाग के परिपत्र की पालना में पै–मेनेजर पर किए जाने वाले संशोधनों को माह मई, 2020 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण–वितरण अधिकारी जिनके सेवानिवृत्त कार्मिक/सेवारत कार्मिक के पै–मेनेजर पर जो भी संशोधन करवाए जाने हैं उन्हें पै–मेनेजर पर पहले कार्मिक/डीडीओ लॉगिन से करने के उपरान्त विभागाध्यक्ष को दिनांक 15.05.2020 तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि समस्त प्राप्त होने वाले संशोधनों को निदेशालय स्तर पर निर्धारित समय सीमा में approve किया जा सके। यदि 15.05.2020 तक कोई संशोधन अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों से प्राप्त नहीं होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके स्तर पर अब कोई भी पै–मेनेजर पर संशोधन कराया जाना बकाया नहीं है।

(बी.डी.शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2019–20/ दिनांक :– 04/05/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को तद्नुसार आपके स्तर पर सूचित किया जावे एवं कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
8. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर
9. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
10. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर/जयपुर/बीकानेर/उदयपुर/ जोधपुर
11. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), बीकानेर
13. सम्पादक, "शिविरा" को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर